

लोकअदालत

सत्र-2019

मुद्रत राम:-

आदेश फलाक :-

शिवाया नाम सं.

474/2017

दं प्र० सं 107

सुरती कुवां + कैप्टन कीपक कुगां +

वाद लाभित अन्तर्गत न्यायालय

अधिकारी काठाधिकारी सदर मैदानी बाजार

पापा की दिवि

आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर

अधियुक्ति

23.2.19

उभय पक्ष अनुपस्थित | अभिलेख का अवलोकन किया |

विविध वाद में नोटिस देने के बावजूद भी दोनों पक्ष
उपस्थित नहीं हुए हैं। इससे प्रतित होता है कि दोनों
पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है और न
शान्ति भंग होने की कोई संभावना प्रतित होता है। अतः
अभिरुची के अभाव में इस वाद की अग्रतर कार्रवाई लोक
अदालत के माध्यम से समाप्त की जाती है।

23.2.2019
सदस्य

सदस्य